

श्री गोविन्द नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

शासन के समता प्रभुता सचिव/सचिव/विभिन्न सचिव ।
समता विभाग/सचिव एवं प्रभुता कार्यालय/सचिव, उ०प्र० ।

लखनऊ: दिनांक 14 जुलाई, 1999

अनुभाग-5

प्र०पी० प्रांजिवरुण एण्ड द्यूबेल्स कार्पोरेशन लि०, लखनऊ को
कार्पोरेटरी संस्था घोषित करना ।

सचिव,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्र०पी० प्रांजिवरुण एण्ड द्यूबेल्स कार्पोरेशन लि०, उत्तर प्रदेश शासन का सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, इसे विभिन्न प्रकार के नल्लुओं का निर्माण, सिंचाई एवं जल परियोजनाओं और उससे जुड़े अन्य निर्माण कार्यों को सम्पादित कराने का कुशल तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त है । कार्पोरेशन के पास इन कार्यों के निर्माण हेतु प्रयोज्य क्षमता एवं उपकरण भी उपलब्ध हैं । प्रदेश के विकास हेतु कार्पोरेशन की इस निर्माण क्षमता के अधिक-धिक उपयोग हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्न कार्यों के लिए प्र०पी० प्रांजिवरुण एण्ड द्यूबेल्स कार्पोरेशन लि० को सार्व, राजकीय कार्पोरेटरी संस्था/ निर्माण एजेंसी घोषित घोषित करते हैं :-

- 1। विभिन्न प्रकार एवं क्षमता के उभल एवं गहर नल्लुओं का निर्माण एवं पुनः निर्माण ।
- 2। हाइड्रो-पॉवर प्रोजेक्ट्स जैसे धराज, संचालन, संचालन, पम्प-शूट का निर्माण तथा उससे जुड़े अन्य विविध कार्य ।
- 3। सिंचाई एवं जलीय संरक्षण से सम्बन्धित कार्य जैसे नहरों की संचालन,

संख्या-1434/99-27-10-5-36 d/01/99
दिनांक

इन्सा का निर्माण एवं उनकी क्षमता की पुनर्स्थापना तथा जल संचयन, जल-संग्रहण एवं जल वितरण से सम्बन्धित कार्य और भूमिगत पानी की सुरक्षा एवं वितरण प्रणाली का निर्माण ।

2- आतः सार्वजनिक सेवा विभागों एवं उनकी निपटणगीयोंन राज्य सरकार, प्राविण्डानों/निगमों, स्थानीय निकायों तथा क्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा उपरोक्त प्रकृति के कार्य कराने में प्रोत्पी० प्राविण्डान सण्ड द्वायवत्ता का निर्माण का प्रथम परीषदा दी जाय ।

भवदीय,

पद्मेश्वर नारायण

संख्या-1434/99-27-सि०-5, तृदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 11 अधीक्षक भुण्ड एवं लेखान सामग्री उ०प्र०, लडा नऊ को गणठ के अ.गामी में प्रकाशनाई ।
- 12 उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मत प्राविण्डान/ निगम/ स्थानीय निकायों क्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाई ।
- 13 अधीक्ष/ प्रधान निदेशक, प्रोत्पी० प्राविण्डान सण्ड द्वायवत्ता कारपोरेशन लडा नऊ ।
- 14 सम्मत मडला पुवत ।
- 15 सम्मत जिला अधीक्षारी ।
- 16 सार्वजनिक उपम अनुभाग-2, उ०प्र० गारान ।
- 17 आ०सि०ए०ए० अनुभाग-1, उ०प्र० गारान ।

आज्ञा से,

डी०पी० सि० प्रमुखा राचिा ।